

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड देहरादून।

विज्ञप्ति

1. निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में उपनिदेशक/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के रिक्त पदों हेतु सेना के तीनों अंगों (आर्मी, नेवी, एयर फोर्स) के कर्नल/ले0 कर्नल व समकक्ष अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारियों से आवेदन पत्र निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, 15सी, कालीदास रोड, पो0ऑ0-हाथीबड़कला, देहरादून-248001 के पते पर दिनांक 22 अक्टूबर 2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

2. उक्त पदों हेतु कर्नल/ले0कर्नल व समकक्ष अवकाश प्राप्त अधिकारी उपलब्ध न होने पर, मेजर व समकक्ष अवकाश प्राप्त अधिकारियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है। आर्म्ड फोर्सेज की तीनों सेवाओं से योग्य पूर्व सैन्य अधिकारी उपलब्ध न होने पर, सैनिक विधवा/आश्रितों की पात्रता पर विचार किया जा सकता है। पद हेतु अर्हतायें एवं अन्य जानकारी सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट <https://sainikkalyan.uk.gov.in> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के लैंड लाइन नं0 0135-2741481 एवं मोबाइल नं0 9422202250 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड।

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

1. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के रिक्त पदों हेतु सेना के तीनों अंगों (आर्मी, नेवी, एयर फोर्स) के कर्नल/ले0 कर्नल व समकक्ष अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारियों से सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 377/XVII-C-1/2025-9 (63)08 टी0सी0 (E-20027) दिनांक 12 अगस्त 2025 में दी गई सेवा-शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, 15 सी, कालीदास रोड, पो0आँ0-हाथीबड़कला, देहरादून-248001 के पते पर दिनांक 22 अक्टूबर 2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों हेतु कर्नल/ले0कर्नल व समकक्ष अवकाश प्राप्त अधिकारी उपलब्ध न होने पर, मेजर व समकक्ष अवकाश प्राप्त अधिकारियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है। आर्म्ड फोर्सेज की तीनों सेवाओं से योग्य पूर्व सैन्य अधिकारी उपलब्ध न होने पर, सैनिक विधवाओं/पूर्व सैनिक आश्रितों की पात्रता पर भी विचार किया जा सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1 अथवा परिशिष्ट-2 संलग्न) पर ही दिया जाना होगा।

2. आवश्यक अर्हतायें निम्नवत हैं :-

(i) आयु संबंधी अर्हता -आवेदक की आयु नियुक्ति वर्ष के प्रथम दिन को/निर्णायक तिथि को आयु 59 वर्ष से अधिक न हो।

(ii) सेवा-शर्तें -जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, पदेन सचिव जिला सैनिक बोर्ड का कार्यकाल 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक होगा जो संबंधित अधिकारी के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

(iii) अतिरिक्त सेवा-शर्तें :-

(1) आवेदक का पिछला सेवा का रिकार्ड साफ-सुथरा और चरित्र अच्छा हो।

(2) किसी भी रिक्त वर्ष की 01 जनवरी, सभी पदों के लिए जो इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत आते हैं, आवेदकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक निर्णायक तिथि होगी।

(3) आवेदक द्वारा डीजीआर या ईसीएचएस या आरएसबी/जेडएसबी या किसी अन्य सरकारी रोजगार (ईसीएचएस कोटे के तहत) से कोई अन्य पूर्व सैनिक पुनर्वास या रोजगार लाभ न लिया गया हो। इस आशय का एक वचन पत्र/प्रतिबद्धता पत्र आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3 संलग्न) के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) आवेदक चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ एवं विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र भ्रमण करने में सक्षम हो।

(5) पूर्व सैन्य अधिकारी सेवायोजन हेतु तीनों सेनाओं (आर्मी, नेवी एवं एयर फोर्स) की प्लेसमेंट एजन्सी अथवा पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में पंजीकृत हो अथवा सेवायोजन पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया हो। आवेदन पत्र में पंजीकृत संख्या दर्शाना आवश्यक है।

(iv) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के लिए उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में पूर्व सैनिकों की विधवा/आश्रितों को उपरोक्त पदों के लिए निम्न अतिरिक्त मापदण्डों को पूरा करने पर उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है :-

(1) आयु - निर्णायक तिथि को न्यूनतम 50 वर्ष।

(2) शैक्षिक योग्यता-केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।

(3) अनुभव—केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन/पीएसयू में संयुक्त निदेशक/उसके समकक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया हो और अंतिम वेतन कम से कम 7वीं केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन लेवल-12 के समकक्ष हो।

(4) रक्षा संगठनों का अनुभव रखने वाली/वाले सैनिक विधवा/पूर्व आश्रित को वरीयता दी जायेगी।

3. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी उत्तराखण्ड के पदों पर नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत हैं :-

(i) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी उत्तराखण्ड के पदों पर नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार के साथ संविदा के आधार पर की जायेगी। यह नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 377/XVII-C-1/2025-9(63)08 टी0सी0 (E-20027) दिनांक 12 अगस्त 2025 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(ii) साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से ई0मेल के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक को उक्त ई0मेल को नियुक्ति होने तक संरक्षित रखना होगा।

(iii) आवेदन पत्र (परिशिष्ट-1 अथवा परिशिष्ट-2 के अनुसार) के साथ वचन पत्र (Certificate of undertaking) परिशिष्ट-3, विकल्प पत्र (Option Certificate) परिशिष्ट-4 तथा स्वयं का विवरण परिशिष्ट-5 अथवा परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रारूपानुसार देना अनिवार्य है।

(iv) आवेदन निर्धारित प्रारूप व आवश्यक संलग्नकों सहित प्रेषित किया जाना आवश्यक है। यदि आवेदन निर्धारित प्रारूप व वांछित संलग्नकों सहित नहीं पाया गया तो वह स्वीकार्य नहीं होगा और आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

4. आवेदन पत्र को उक्त पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट या स्वयं अथवा विभागीय ई0मेल आई.डी dir-soldierwel-uk@nic.in के माध्यम से नियत तिथि को सांय 05.00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं।

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1. अधिकारी का सर्विस न0 2. रैंक.....
2. नाम
3. सेना/रेजिमेन्ट/कोर
4. पत्र व्यवहार का पता (ई0मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नम्बर सहित)
.....
.....
5. स्थायी पता
.....
.....
6. जन्मतिथि 7. 01 जनवरी 2026 को आयु
8. सेना में कमीशन की तिथि 9. सेना से सेवा निवृत्ति की तिथि
9. शैक्षिक योग्यता
10. सेवा-निवृत्ति के समय चरित्र.....
11. मेडिकल कैटेगरी (निकटतम सैनिक अस्पताल/ई.सी.एच.एस से प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य)
.....
12. सेना में की गयी सेवा का विवरण:-

यूनिट का नाम	पदनाम	कब से	कब तक

13. सेना में प्राप्त वीरता एवं गैर वीरता पदक का विवरण (प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य) :-

वीरता/गैर वीरता पदक का नाम	वर्ष	ऑपरेशन/सेवा

14. सेना में किये गये महत्वपूर्ण कोर्सों का विवरण :-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15. विदेश सेवा नियुक्ति का विवरण :-

.....

.....

.....

16. पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय भारत में दर्ज पंजीकरण संख्या.....

मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी प्रमाणित एवं सही है। यदि उक्त जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो मेरे आवेदन को निरस्त समझा जाय।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर —————

आवेदक का नाम एवं रैंक

1. आवेदक का नाम (सैनिक विधवा/पूर्व सैनिक आश्रित का नाम)
2. पूर्व सैनिक का सेवा नं०/रैंक/नाम एवं सेना/रेजिमेन्ट/कोर का नाम तथा पूर्व सैनिक के साथ आवेदक का संबंध :—

सेवा नं०..... रैंक..... नाम.....

सेना/रेजिमेन्ट/कोर का नाम आवेदक के साथ संबंध
3. सैनिक विधवा/पूर्व सैनिक आश्रित के पत्र व्यवहार का पता (ई०मेल आई०डी० एवं मोबाइल नम्बर सहित)
4. स्थायी पता
5. आवेदक की जन्मतिथि 6. 01 जनवरी 2026 को आयु
7. आवेदक की शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य).....
8. आवेदक का चरित्र (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य).....
9. मेडिकल कैटेगरी (सैनिक अस्पताल/ईसीएचएस का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य)
10. सैनिक विधवा/पूर्व सैनिक आश्रित का केन्द्र/राज्य सरकार में की गई सेवा का विवरण:—

[illegible]

11. विदेश सेवा नियुक्ति का विवरण :-

.....

.....

.....

.....

12. संबंधित विभाग में किये गये कार्यों का अनुभव

.....

.....

.....

.....

13. सेवायोजन का नाम एवं पंजीकरण संख्या.....

.....

14 मैं पद..... से दिनांक को
सेवानिवृत्त हुआ/हुई हूँ और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद हेतु सैनिक विधवा/ पूर्व
सैनिक आश्रित की सभी अर्हतायें पूर्ण करता/करती हूँ।

मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी प्रमाणित एवं सही है। यदि उक्त जानकारी किसी भी स्तर पर
गलत पाई जाती है तो मेरे आवेदन को निरस्त समझा जाय।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर -----

आवेदक का नाम एवं पदनाम

**CERTIFICATE OF UNDERTAKING BY ESM OFFICERS/WIDOW/ESM DEPENDENT
FOR APPOINTMENT IN RSB/ZSB UTTARAKHAND**

1. I, ... am willing to join for RSB/ZSB as Zila Sainik Kalyan Evam Punarvas Adhikari/Deputy Director.
2. I hereby certify that I have neither availed any benefit nor am/was I employed with DGR/ECHS, and not benefitted/benefitting from their sponsored schemes either. I am not presently employed (nor have been employed earlier) with RSB /ZSB in any State/UT.
3. I have/have not applied to DGR/ECHS for any appointment.
4. Further, if there is any falsification found at any time related to my statement my selection may be treated as cancelled and I will be liable for legal/financial actions deemed necessary at appropriate level.

	Signature
	Name :
Place :	Rank (if applicable):
Date :	Service No(if applicable):
.....	

विकल्प पत्र

मैं,.....(आवेदक का रैंक एवं नाम) यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मेरी नियुक्ति उत्तराखण्ड में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर हो जाती है तो मैं उत्तराखण्ड के किसी भी जनपद में सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा/रहूँगी।

	हस्ताक्षर
	नाम
स्थान :	रैंक (यदि लागू हो).....
दिनांक :	सर्विस न0 (यदि लागू हो).....

- | | |
|-------------------------------|--|
| | |
| Mobile No and E-mail ID | |

- | Name of School/College Attended | Exam Passed | Year |
|---------------------------------|-------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- | Qualification | Institute | Year | Division/Grading |
|---------------|-----------|------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- | Appointment | Unit/Location | Year |
|-------------|---------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Signature of Individual

BIO DATA OF CANDIDATE FOR APPOINTMENT AS DIRECTOR/DEPUTY DIRECTOR /ZSWO**IN RSB/ZSB UTTARAKHAND**

(Only for Widow/ESM Dependent)

1. Designation & Name
.....
2. Central/State Govt department which served
.....
3. Date of Appointment.....Date of Retirement & last appointment held.....
4. Re-employed (if applicable) from to
5. Date & Place of Birth
6. Decorations/Awards (if any).....
7. Widow/Dependent I Card No (if already retired)

8. Permanent Home Address as per Service Book Present Home Address

Mobile No and E-mail ID	

9. **Educational Qualification**

Name of School/College Attended	Exam Passed	Year

10. **Major Central/State Govt Civil Courses Undergone During Appointments**

Qualification	Institute	Year	Division/Grading

11. **Last Five Appointments Held in Central/State Govt**

Appointment	Department/Location	Year

Place :

Date :

Signature of Individual